भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3043

30 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: देश में सहकारिताओं का प्रदर्शन

3043. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सहकारिता के अंतर्गत आने वाले अधिकांश क्षेत्र रुग्ण हैं और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक इसके लिए उत्तरदायी कौन-कौन से मुख्य कारणों की पहचान की है;

(ग) क्या सरकार के पास सहकारिताओं के वर्तमान प्रदर्शन का आकलन करने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए उचित उपाय सुझाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन करने की कोई योजना है; और

(घ) क्या सरकार ने आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सहकारी क्षेत्र के तहत शुरू करने के लिए कोई नया प्रभावी मॉडल तैयार किया है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख): 'सहकारिता' शब्द में क्रेडिट सहकारी समितियों के साथ-साथ गैर-क्रेडिट सहकारी समितियां भी शामिल हैं। क्रेडिट सहकारी समितियों में सहकारी बैंक अर्थात राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक (पीयूसीबी) और प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ (पीएसीएस) जैसी क्रेडिट समितियाँ भी शामिल हैं। गैर-क्रेडिट सहकारी समितियों में वह सहकारी समितियां शामिल होंगी जो कि विभिन्न उद्देश्यों जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प, मात्स्यिकी, कॉयर, औद्योगिक, आवासन आदि के लिए बनाई गई हैं।

सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंकों के साथ-साथ ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी जोड़ेंगे, जिसमें राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) शामिल हैं।

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए, आरबीआई विनियामक के साथ-साथ पर्यवेक्षक भी है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए, आरबीआई विनियामक है और नाबार्ड पर्यवेक्षक है।

नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में ग्रामीण सहकारी बैंकों के कार्य निष्पादन में आने वाली प्रमुख बाधाएँ निम्नानुसार हैं जो विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों और समितियों पर आधारित हैं:-

(i) कमजोर वित्तीय स्थिति: जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों के कार्य निष्पादन में गिरावट में योगदान देने वाले कारक बढ़ते नुकसान, बढ़ते एनपीए और खराब संसाधन आधार हैं।

(ii) जोखिम सांद्रता: प्रचालन के सीमित क्षेत्र के कारण, सीमित उद्देश्यों के लिए वित्तपोषण, जोखिम आमतौर पर कृषि के लिए वित्तपोषण से जुड़ा होता है।

(iii) **प्रशिक्षित जनशक्ति और व्यावसायिकता की कमी**: सभी स्तरों पर सहकारिता स्थानीय रूप से उपलब्ध जनशक्ति की भर्ती कर रही थी और भर्ती की प्रक्रिया भी सर्वोत्तम जनशक्ति को आकर्षित करने अथवा भर्ती की आवृत्ति के संबंध में कुशल नहीं थी।

(iv) कार्यात्मक कमजोरी: सहकारिता आंदोलन अपनी शुरुआत से ही प्रशिक्षित कर्मियों की अपर्याप्तता से प्रभावित रहा है।

(v) समितियों में कमजोरी: खराब अवसंरचना, गुणवत्ता प्रबंधन की कमी, सरकार पर अत्यधिक निर्भरता, निष्क्रिय सदस्यता, चुनाव न कराना, मजबूत मानव संसाधन की कमी आदि।

(vi) कृषि ऋण के विविधीकरण का अभाव और गिरते हिस्सा

(vii) प्रौद्योगिकी एकीकरण: सहकारी बैंकों को अपने आला दर्जे के ग्राहकों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के संबंध में दूसरों के साथ पकड़ना चाहिए।

(ग): वर्तमान में, सहकारी समितियों के तहत प्रत्येक क्षेत्र के लिए उनके कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में सहकारिता को गहरा करना है और सहकारी आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल विकसित करना है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करें। मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अपनी मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों में सहकारी समितियों को एकीकृत करने का अनुरोध किया है।

****